तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	
13-10-2025	**एकल–पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :** श्री संपत लाल बोहरा, अभिभाषक अणुव्रत विश्व भारतीय, राजसमंद श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज श्री शिव प्रकाश चौधरी, राजकीय अभिभाषक **निर्णय** **1–** हस्तगत दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–9–2002 (अपील सं. 38/2001) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। निगरानी संख्या 7230/2002 के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। **2–** उक्त दोनों निगरानियों में तथ्यपरक स्थिति, पक्षकारान एवं विवादित बिन्दु एक समान होने तथा ये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय के विरूद्ध दायर होने के फलस्वरूप हस्तगत दोनों निगरानियों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों निगरानियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली के साथ संलग्न की जावे। **3–** निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का सनवाड़ ने नाजायज कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार राजसमन्द को पेश कर जाहिर किया कि मौजा रूण राजसमन्द में खसरा नम्बर 777 रकबा 364 बीघा 8 बिस्वा में से 23 बीघा 10 बिस्वा पर हंसराज, रणछोड़, भैरूलाल, गोर्धन पिता किशनलाल ब्राहमण निवासी सन्दरचा व हंसराज हाल निवासी कांकरोली ने कोट लगाकर नाजायज कब्जा कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द ने धारा 91 की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये। रणछोड़, भैरूलाल, गोर्धन बावजूद नोटिस तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा हंसराज ने दिनांक 14–5–1987 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने समर्थन में जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विवेचन विपक्षी हंसराज को मौजा रूण राजसमन्द की आराजी खसरा नम्बर 777 में से 23 बीघा 10 बिस्वा से बेदखल कर निर्मित कोट को हटाने का आदेश पारित किया। विपक्षी हंसराज के द्वारा इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर, उदयपुर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर, उदयपुर ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई आदेश दिनांक 21–12–1990 द्वारा प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया गया। तत्पश्चात तहसीलदार राजसमंद द्वारा प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 9–10–1991 द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अणुव्रत विश्व भारतीय राजसमन्द द्वारा एक अपील जिला कलक्टर, राजसमंद के समक्ष पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–02–2001 द्वारा अपील को स्वीकार कर तहसीलदार, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–10–1991 निरस्त कर अप्रार्थी हंसराज के विरूद्ध धारा 91 के तहत विधिवत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज द्वारा एक अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष पेश की। अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 4–9–2002 द्वारा जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 12–02–2001 निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर दोनों निगरानियां प्रस्तुत की गई हैं। **4–** अप्रार्थी हंसराज की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस कैलाश पिता हंसराज को रिकॉर्ड पर लिया गया। विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई। 5– विद्वान अभिभाषक श्री संपत लाल बोहरा ने निगरानी प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही उसका विधिक कब्जा मानते हुए ड्रॉप कर दी गयी। यह आदेश ऐब–इनिशीयोवॉईड होकर बिना अधिकार प्रदत्त किया गया। विवादित भूमि पर अप्रार्थी हंसराज का विधिक कब्जा नहीं है। यहां तक कि जो विक्रय पत्र पेश किया है उसे असल मंगा कर न्यायालय स्वयं ही देख सकता है कि वास्तव में 3 के आगे 2 बढ़ाया गया है तथा 3 बीघा के 23 बीघा किया गया है। इसके संबंध में तहसीलदार से जिला कलक्टर ने जांच करवाई तो जांच रिपोर्ट दिनांक 25–1–1995 में तहसीलदार ने स्पष्ट बताया कि वास्तव में रिकॉर्ड में हेरा–फेरी की गई है। विक्रय पत्र में भूमि का खसरा नंबर उल्लेखित न होने से अप्रार्थी का कब्जा बाबत स्थिति पूर्णत अस्पष्ट है तथा वह प्रार्थी की हितबद्धता भूमि पर कब्जे हेतु प्रयासरत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने समस्त तथ्यों व रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर न्यायालय जिला कलक्टर के आदेश को निरस्त कर तहसीलदार के आदेश को बहाल रखने का आदेश दिया है जो कि बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त है। प्रार्थी अणुव्रत विश्व भारतीय प्रकरण में हितबद्ध है तथा उन्हें हितबद्ध नहीं मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पेटा तालाब की है तथा पेटा तालाब किसी भी सूरत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में काबिल नियमन के नहीं है तथा न ही इस भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस कारण तहसीलदार द्वारा जायज कब्जा मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है व तहसीलदार पेटा तालाब की जमीन पर विपक्षी का जायज कब्जा मानते हुए कार्यवाही ड्रॉप करने का आदेश बिना अधिकार के होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मानने में त्रुटि की है कि प्रकरण में अजनबी पक्षकार नहीं बन सकता है, जबकि मियाद के बिन्दु पर निर्णयन के समय ही इस बिन्दु पर बहस सुनकर आदेश दे दिया गया था तथा अप्रार्थी द्वारा दायर निगरानी भी राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दी गयी थी। इसलिए दोबारा इस बिन्दु पर आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थी द्वारा दायर रिट याचिका दिनांक 21–3–1995 को खारिज कर दी गई जिसमें भी प्रार्थी संस्था पक्षकार थी। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकार हेतु दायर रेगूलर सूट भी खारिज हो चुका है। जिस कलक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण का विस्तृत गुणावगुण पर विवेचन के साथ निर्णय दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा विपक्षी की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का आदेश निरस्त किया जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द का आदेश बहाल रखा जावे। **6–** उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज ने अपना जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत कर धारा 91 की कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया। तहसीलदार ने दिनांक 09–10–1991 को निर्णय देते हुए अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया गया, जिस पर अणुव्रत विश्व भारतीय ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रथम अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र बाबत वह पक्षकार न होने के कारण अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर न्यायालय ने प्रार्थी की अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया इसलिए जिला कलक्टर न्यायालय का आदेश विधितः अपूर्ण होकर स्थापित रखने योग्य नहीं है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही राज्य की ओर से प्रारम्भ की जाती है जिसमें किसी तृतीय व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। प्रार्थी अणुव्रत विश्व भारतीय तृतीय पक्ष है, इसलिए प्रार्थी को धारा 91 की कार्यवाही में आवश्यक तथा प्रभावी पक्षकार नहीं माना जा सकता है। विवादित भूमि प्रार्थी की कब्जे वाली भूमि से बिल्कुल भिन्न है तथा ना ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस पर उनका कब्जा है। मातहत अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं विधिक प्रावधानों का सही विश्लेषण व विवेचन कर अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

7— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में अभिकथन किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन झील होने से इस पर खातेदारी अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 हंसराज की हैसियत भूमि पर मात्र अतिक्रमी की है, अतः तहसीलदार द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त करने का आदेश किसी भी तरह से स्थापित रखने योग्य नहीं है। जिला कलक्टर राजसमंद न्यायालय ने भूमि के पूर्व व हाल रिकॉर्ड तथा अप्रार्थी के हित अधिकार बाबत विस्तृत व स्पष्ट विश्लेषण के साथ उसका अधिकार न बनना मानते हुये धारा 91 के तहत कार्यवाही का निर्णय दिया गया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सिवायचक दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी आदि पेश नहीं किए हैं जिससे यह साबित हो सके कि पूर्ववर्ती कृषक को आरटीएक्ट 1955 या जागीर अधिनियम 1952 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हो। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाब होने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं, किंतु अपीलीय न्यायालय द्वारा हंसराज को खातेदार मानने में भारी भूल की है। जिला कलक्टर न्यायालय ने प्रार्थी की अपील दायर करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये ही अपील निर्णीत की थी। राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थी द्वारा मियाद बिंदु पर जिला कलक्टर न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध दायर निगरानी अस्वीकार कर दी थी। अप्रार्थी ने अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति पर अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति नहीं की इसलिए वह राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अलग से यह आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। अपीलीय न्यायालय ने मात्र प्रार्थी की अपील दायर करने हेतु योग्यता व उसे सक्षम पक्षकार न मानते हुये ही जिला कलक्टर न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया जो कि निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर न्यायालय का आदेश दिनांक 4—9—2002 अपास्त किया जाकर जिला कलक्टर न्यायालय के आदेश दिनांक 12—2—2001 को यथावत रखा जावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने निगरानी संख्या 7230/2002 में हुई सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

8— निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों और अधीनस्थ न्यायालयों की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावलियों में संलग्न अभिलेख एवं निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया।

9— निगरानी संख्या 7230/2002 में राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचारण उपरांत निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सद्भाविक व स्वीकारोचित माना जाकर विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है। प्रकरण की तथ्यगत तथा पूर्व न्यायनिर्णयन वस्तुस्थिति अनुसार ग्राम रूण राजसमंद के खसरा नंबर 777 रकबा 364 बीघा 8 बिस्वा किस्म तालाब में से 23 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थी हंसराज द्वारा पत्थर का कोट लगाकर अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही बाबत पटवारी द्वारा दिनांक 30—12—1986 को रिपोर्ट पेश करने पर तहसीलदार राजसमंद ने हंसराज का अतिक्रमण ध्वस्त कर उसे बेदखल करने का आदेश किया। इस निर्णय के विरूद्ध हंसराज द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील में प्रकरण पुनः तहसीलदार को रिमांड किया गया। तहसीलदार राजसमंद ने पुनः सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 9—10—1991 द्वारा हंसराज के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी श्री अणुव्रत विश्व भारतीय राजसमंद संस्था द्वारा जिला कलक्टर राजसमंद न्यायालय में दिनांक 1—5—1995 को अपील प्रस्तुत की गई जिसमें निर्णय दिनांक 12—2—2001 द्वारा तहसीलदार के निर्णय दिनांक 9—10—1991 को खारिज कर अप्रार्थी हंसराज के विरूद्ध धारा 91 के तहत विधिवत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। जिला कलक्टर न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध हंसराज द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में जिला कलक्टर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12—2—2001 को निरस्त किया गया। अपील मुख्यतः इस बिंदु पर स्वीकार की गई कि श्री अणुव्रत विश्व भारतीय धारा 91 के इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

10— राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसमंद तथा श्री अणुव्रत विश्व भारतीय संस्था द्वारा मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत पृथक—पृथक निगरानी प्रार्थना पत्र में हम प्रार्थी संस्था बाबत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के विनिश्चय के साथ—साथ प्रकरण को गुणावगुण पर भी विवेचित करना उचित मानते हैं। श्री अणुव्रत विश्व भारतीय द्वारा तहसीलदार राजसमंद के निर्णय दिनांक 9—10—1991 के विरूद्ध राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाते हुए अप्रार्थी हंसराज के विरूद्ध दायर अपील में विवादित भूमि पर हंसराज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अतिक्रमण तथा संस्था की हितबद्धता भी उल्लेखित कर अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें कथन किया गया कि अप्रार्थी हंसराज द्वारा बतायी जा रही अतिक्रमित भूमि में उसकी कब्जे की 4 बीघा भूमि भी आती है, जो कि राजसमंद तालाब में पानी के लेवल से काफी ऊपर होकर पहाड़ी पर स्थित है। इस भूमि पर उनका भवन व बच्चों हेतु पार्क, मैदान आदि स्थित हैं। यह भी कि हंसराज उनकी कब्जे की भूमि को भी अपनी भूमि होना क्लेम कर रहा है तथा उसका उनके कब्जे की भूमि पर कोई तालुक न होते हुए भी वह इस पर कब्जा करने में प्रयासरत है। संस्था द्वारा दायर अपील के साथ अपील पेश करने की स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र तथा अपील दायर करने में हुए विलंब को कंडोन करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी हंसराज द्वारा उक्त अपील में अपीलांट संस्था द्वारा अपील दायर करने की अधिकारिता पर आपत्ति नहीं कर मियाद के बिंदु पर ही आपत्ति की जाने पर जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19–06–1995 में दोनों पक्षों को सुनते हुए अपील को मियाद के बिंदु पर स्वीकार योग्य माना गया। अप्रार्थी हंसराज द्वारा मियाद बिंदु पर इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को मण्डल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–1–2001 से अस्वीकार कर जिला कलक्टर राजसमंद के निर्णय को बहाल रखा गया। अप्रार्थी हंसराज द्वारा विवादित भूमि पर अधिकार बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट पीटिशन संख्या 3680/1993 में प्रार्थी संस्था पक्षकार थी। प्रार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत निगरानी अनुसार उसे विवादित भूमि में से कुछ भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित/नियमित भी की गयी है। इस प्रकार हमारा विवेचन है कि तहसीलदार राजसमंद के निर्णय के विरूद्ध संस्था द्वारा अपील प्रस्तुत करने में भूमि पर अपनी हितबद्धता तथा निर्णय के विरूद्ध उजर को स्पष्टतः बताते हुए अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था। अप्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय में मियाद के बिंदु पर ही आपत्ति की गयी थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार कर विलंब को कण्डोन करते हुए निर्णय दिया गया था। इस समस्त वस्तुस्थिति में हम राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 4–9–2002 के इस विनिश्चय को स्वीकारोचित होना नहीं मानते हैं कि प्रार्थी संस्था प्रकरण में आवश्यक पक्षकार न होने से जिला कलक्टर राजसमंद का निर्णय दिनांक 12–2–2001 निरस्तनीय था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रकरण का गुणावगुण पर भी परीक्षण करना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा मात्र एक ही बिंदु पर सीमित रूप से ही विचारण करते हुए अपील स्वीकार कर ली गयी, जिसे पुष्ट एवं विधिसम्मत आदेश होना नहीं माना जा सकता।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	11— तहसीलदार राजसमंद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 9—10—1991 में अप्रार्थी हंसराज के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही चलने योग्य न होना मानते हुए इसे ड्रोप करने का निर्णय दिया गया। उन्होंने जिस भूमि रिकॉर्ड तथा इसकी व्याख्या अनुसार हंसराज के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही चलने योग्य नहीं माना है, जिला कलक्टर राजसमंद न्यायालय ने इसका विस्तृत तथ्यपरक एवं विधिपूर्ण विवेचन करते हुए अपना निर्णय पारित किया गया है। प्रस्तुत भू प्रबंध विभाग खसरा पंत्राक संवत् 2022 में खसरा नंबर 777 रकबा 364 बीघा 8 बिस्वा तालाब दर्ज होकर विशेष विवरण में यह सिवायचक अंकित है। तहसीलदार न्यायालय में अप्रार्थी हंसराज द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें अप्रार्थी अथवा भूमि विक्रेता इस भूमि के खातेदार काश्तकार होने साबित हों। जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड तथा संबंधित विधि की विस्तृत व गुणावगुण पर व्याख्या करते हुए भूमि पर किसी पूर्ववर्ती कृषक का विधिवत स्वामित्व अधिकार नहीं होना माना है। हम जिला कलक्टर के निर्णय व विवेचन से सहमति रखते हैं कि बिलानाम सिवायचक तालाब की भूमि किसी कृषक विशेष के स्वामित्व की न होकर इस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते तथा इस भूमि पर किसी कृषक की विधिवत अधिकारिता न बनने से अप्रार्थी को किये गये तथाकथित विक्रय को भी मान्यता नहीं दी जा सकती। विधि में यह सर्वमान्य है कि तालाब पेटा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 के प्रावधानों अनुसार सार्वजनिक भूमि होकर इस पर किसी व्यक्ति विशेष को आवंटन/ नियमन नहीं किया जा सकता और न ही ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस प्रकार तहसीलदार राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 9—10—1991 में रिकॉर्ड व विधि की गलत विवेचना कर अप्रार्थी हंसराज के विरूद्ध क्षेत्राधिकार का गलत इस्तेमाल कर कार्यवाही ड्रॉप करने का प्रदत्त निर्णय गलत होकर खारिज योग्य होना स्पष्टतः दृष्टव्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 3680/1993 में निर्णय दिनांक 21—3—1995 में याची हंसराज को कोई रिलीफ का पात्र न पाया जाने के कारण उसकी याचिका खारिज की गयी है। राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने प्रकरण की तथ्यगत व विधिक स्थिति तथा राजस्व रिकॉर्ड का गुणावगुण पर कोई विवेचन नहीं कर विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर जिला कलक्टर न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया, अतः निगरानीधीन निर्णय स्थापित रखा जाने योग्य नहीं है तथा हम प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना पत्रों को स्वीकार योग्य होना मानते हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एलआर/6427/2002/राजसमंद</u>** **अणुव्रत विश्व भारतीय बनाम हंसराज व सरकार** **<u>निगरानी/एलआर/7230/2002/राजसमंद</u>** **सरकार बनाम हंसराज व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12– अतः विवेचन उपरांत निर्णय स्वरूप प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के निर्णय दिनांक 4–9–2002 को अपास्त किया जाकर न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद के निर्णय दिनांक 12–02–2001 को यथावत रखा जाता है। दोनों निगरानी पत्रावलियां फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	